173-A

संख्याः– /XIV–1/2013–5(8)/2010

प्रेषक,

कुणाल शर्मा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक 13 मई, 2013

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 में उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद के संचालन हेतु विभिन्न मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–223/नियो0/सह0परिषद/ 2013–14 दिनांक 09 अप्रैल 2013, वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग के आदेश संख्याः–284/XXVII (1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए सहकारिता विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद के संचालन हेतु कुल धनराशि **₹18,00,000/-(रूपये अठ्ठारह लाख मात्र)** की निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह मे 5 तारीख तक बी0एम0–5 प्रपत्रपर आहरण एवं वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना विभागाध्यक्ष को तथा बी0एम0 13 प्रपत्र पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम् से शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को समय से सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

4. स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जाय।

6. वचनबद्ध तथा अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2013 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7. आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से फॉट कर फिल्ड स्तर पर बजट उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करेंगे तथा सम्भावित व्यय की फेजिंग कर उसकी सूचना शासन तथा वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

क्रमशः

2– उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–18 के 2425–सहकारिता–आयोजनागत–00–800–अन्य व्यय–20–सहकारी परिषद का गठन एवं संचालन –00–की मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

3– ये आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या– 284/XXVII–1/2013, दिनांक 30 मार्च, 2013 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(कुणाल शर्मा)
सचिव।

संख्याः–702(1)/XIV–1/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव उत्तराखण्ड राज्य सहकारी परिषद्, देहरादून द्वारा निबन्धक।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
8. प्रभारी मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार)
उपसचिव।